न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2023/360
मुकदमा नम्बर 95/2023 दर्ज दिनांक–24.08.2023

जीताराम उर्फ रणजीत पुत्र रामदेवाराम जाति जाट निवासी भरवाडी, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक :– श्री तेजपाल सिंह दूत, श्री विप्लव पण्डित
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 01.04.2024

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम भरवाडी पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहदमें भूमि खाता सं. नया 148 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 386,387,395,396,397, 398 रकबा कमशः 0.30, 0.29, 0.42, 0.43, 0.50, 0.43 कुल किता 6 कुल रकबा 2.37 है0 , राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में नई खाता सं. 22 की भूमि खसरा नं. 3051,3305, 3306,3308, 3310, 3311,3314,3316,3317,3318,3347,3348 रकबा क्रमशः 0.07, 0.03, 1.75, 0.31, 0.07, 0.05, 0.30, 0.35, 0.02, 0.33, 0.35, 0.54 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 4.17 है0 तथा राजस्व ग्राम चारां का बास पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद मे नई खाता सं. 169 की भूमि खसरा नं. 3307 रकबा 0.24 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रणजीत की बजाय जीताराम दुरूस्त किया जावे।

प्रा0 पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक तहसीलदार नवलगढ की ओर से पैरो. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट कमांक भू.अ. 275 दिनांक 19/10/2023 पेश की जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे रणजीत की बजाय जीताराम दर्ज व दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा ग्राम भरवाडी पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहदमें भूमि खाता सं. नया 148 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 386,387,395,396,397, 398 रकबा कमशः 0.30, 0.29, 0.42, 0.43, 0.50, 0.43 कुल किता 6 कुल रकबा 2.37 है0 , राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में नई खाता सं. 22 की भूमि खसरा नं. 3051,3305, 3306,3308, 3310, 3311,3314,3316,3317,3318,3347,3348 रकबा क्रमशः 0.07, 0.03, 1. 75, 0.31, 0.07, 0.05, 0.30, 0.35, 0.02, 0.33, 0.35, 0.54 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 4.17 है0 तथा राजस्व ग्राम चारां का बास पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद मे नई खाता सं. 169 की भूमि खसरा नं. 3307 रकबा 0.24 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रणजीत की बजाय जीताराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। पृथक से तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 01.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

Scanned with CamScanner